न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 72/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00116)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज———————— प्रार्थी।

बनाम

1. राजकुमार ऊर्फ राजू ऊर्फ बन्टी पुत्र तुलाराम जाति वैश्य निवासी सतंर रोड थाना निहालगंज शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 17.12.2018

निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशों पर संतर रोड बन्दी इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान पर पहुॅचा वहॉ धर्मेन्द्र सहायक उप निरीक्षक दुकान की निगरानी करते हुए मिला दुकान पर अप्रार्थी बन्टी मिला दुकान पर एक गैस सिलेण्डर बडा एच पी का व 3 पैट्रोमेक्स खाली एक छोटा खाली सिलेण्डर 2 कि.ग्रा.का व एक रिफलिंग गैस भरने की मिली आस पडौस के दुकानदारों व अप्रार्थी से पूछा तो बताया कि बडे सिलेण्डरों में से छोटे सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बेचते हैं इस सम्बन्ध में कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया अतः जरिये फर्द जब्ती एक सिलेण्डर भरा हुआ 3 सिलेण्डर पैट्रोमैक्स एक सिलेण्डर खाली 2 कि.ग्रा. को जब्त किया गया । भरे सिलेण्डर को शील कर मार्क ए एवं खाली पैट्रोमेक्स ब छोटे सिलेण्डर पर मार्क 1x 2x 3x 4 लगाया गया इसी दौरान दुकान मालिक अप्रार्थी फरार हो गया अतः अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 ई सी एक्ट की तारीफ में आता है।

अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 111/2005 बदफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर तफतीश भगवान सिहं उप निरी. ने की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहान लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया दौराने तफतीश जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिर्पोटो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ई सी एक्ट में दण्डनीय है। धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चार्टशीट नम्बर 37/06 दिनांक 10.3.2006 किता की जाकर चालान न्यायालय सी जे एम धौलपुर में पेश किया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.9.2014 को निर्णय कर अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल के निस्तारण के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी का प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुआ है। जिनके सिलेण्डर जब्त करना प्रकरण में बताया है उनको पूर्व में धारा 6 ए ई सी एक्ट के तहत सिलेण्डर प्रदान किये जा चुके है। यदि कोई और सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा जब्त होना बताया है तो अप्रार्थी को पता नहीं और न्यायालय उन्हें राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी का कोई एतराज नहीं है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है यदि उन्हें राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द जब्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिर्पोट 10.3.2006 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.9.2014 की फोटो प्रति, पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । दुकान पर एक गैस सिलेण्डर बडा एच पी का व 3 पैट्रोमेक्स खाली एक छोटा खाली सिलेण्डर 2 कि.ग्रा.का व एक रिफलिंग गैस भरने की मिली । गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाया जाता है । जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिर्पोटो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है। यदि प्रार्थी द्वारा

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रकरण में सिलेण्डर जब्त होना बताया है तो अप्रार्थी को पता नहीं और न्यायालय उन्हें राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी को कोई एतराज/ आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में एक गैस सिलेण्डर बडा एच पी का व 3 पैट्रोमेक्स खाली एक छोटा खाली सिलेण्डर 2 कि.ग्रा.का व एक रिफलिंग गैस भरने की मिली । अप्रार्थी बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है । जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरता पाया गया अतः अप्रार्थी का यह कहना कि जब्तशुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं सिद्ध नहीं होता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के ही हैं। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय दिनाक 20.9.2014 में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा एक गैस सिलेण्डर बडा एच पी का व 3 पैट्रोमेक्स खाली एक छोटा खाली सिलेण्डर 2 कि.ग्रा.का व एक गैस भरने की रिफलिंग को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(निर्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर